संख्या-95/2020/2273/22-2-2019-17(1000)/2019

प्रेषकए

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगरए
विशेष सचिवए
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा मेंए

पुलिस महानिदेशक/ महानिरीक्षकए
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायेंए
उत्तर प्रदेशए लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 ***लखनऊ दिनांक 11 फरवरी 2020***

विषय:-केन्द्रीय कारागारए बरेली में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी ओमप्रकाश पुत्र श्री हीरालालए निवासी जनपद-पीलीभीत की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदयए

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-24539/प्रोबेशन-3/फार्म-ए(एम-02-07-2019) दिनांक-08-08-2019 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार बन्दी ओमप्रकाश पुत्र श्री हीरालालए निवासी-मोहम्मद गंज रम्पुराए थाना-बरखेड़ाए जनपद-पीलीभीत का रहने वाला है। बन्दी के सहअभियुक्त रामस्वरूप की पत्नी प्रधानी का चुनाव हार गयी थी। रामस्वरूप ने लालता प्रसाद को सपरिवार धमकी दी तुम लोगों ने वोट नहीं दिया इसका नुकसान तुम्हें भुगतना पड़ेगा। इसी रंजिश में होली मिलन के अवसर पर दिनांक 10.03.2001 को सांय लगभग 05:00 बजे 36 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर बंदूक देशी तमंचा बांका लाठी बल्लम से हमला कर दिया जिसमें 05 लोगों की मृत्यु हो गयी तथा 07 अन्य घायल हो गये। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-212/2002 में भा0द0वि0 की धारा-302/149ए 307/149ए 436/149ए 506ए 147 एवं 7 क्रिमिनल ला अमेण्डमेन्ट एक्ट के अन्तर्गत मा0 अपर सत्र न्यायाधीश/ विशेष न्यायाधीश (एस0सी0 /एस0टी0 एक्ट)ए पीलीभीत के आदेश दिनांक 23.01.2004 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गयाए जिसे मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 23.09.2005 द्वारा यथावत रखा गया। बन्दी द्वारा दिनांक 12.05.2019 तक 15 वर्ष 08 माह 24 दिन की अपरिहार सजा तथा 20 वर्ष 03 माह 18 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। जिला प्रोबेशन अधिकारी एवं जिला मजिस्ट्रेट ने बन्दी द्वारा भविष्य में अपराध करने की संभावना होने की आख्या अंकित करते हुए समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की है। प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि बन्दी के सहअभियुक्त रामस्वरूप की पत्नी प्रधानी का चुनाव हार गयी थी। इसी चुनावी रंजिश में दिनांक 10.03.2001 को 36 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर बंदूक देशी तमंचा बांका लाठी बल्लम से हमला कर 05 लोगों की हत्या कर दी एवं 07 अन्य लोगों को घायल करने का जघन्यतम अपराध कारित किया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। बन्दी का अपराध समाज को प्रभावित करने, भविष्य में अपराध करने का अवसर होने, जेल में और आगे निरूद्ध रखने का सार्थक प्रयोजन होने का अंकन जिला प्रोबेशन अधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा निदिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में की गयी है। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गंभीरता एवं जघन्यता, विवाद समाप्त न होने, जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट पीलीभीत द्वारा समयपूर्व रिहाई का विरोध किये

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

जाने के दृष्टिगत यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोवेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी ओमप्रकाश पुत्र श्री हीरालाल को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि बन्दी ओमप्रकाश (बन्दी संख्या-41007) पुत्र श्री हीरालालए निवासी जनपद-पीलीभीत के फार्म-ए पर यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्टए 1938 की धारा-2 के प्राविधानों के अन्तर्गत उसे मुक्ति का पात्र नहीं पाया गया है। अतएव उक्त बन्दी की लाइसेन्स पर मुक्ति सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। तद्नुसार उसके फार्म-ए पर शासन के आदेश अंकित करके एतदद्वारा वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोपरि।

(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित) भवदीयए

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर
विशेष सचिव।

संख्या-95/2020/2273(1)/22-2-2019 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेटए जनपद पीलीभीत।
2- वरिष्ठ अधीक्षकए केन्द्रीय कारागारए बरेली।
3- निजी सचिवए मा0 राज्यमंत्रीए कारागार विभाग को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
4- गार्ड फाईल।

आज्ञा सेए

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश सख्ंया-95/2020/2273/22-2-2019-17(1000)/2019
दिनांक 11 फरवरी 2020 का संलग्नक

<u>सरकार के आदेश</u>

केन्द्रीय कारागारए बरेली में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी ओमप्रकाश (बन्दी संख्या-**41007**) पुत्र श्री हीरालालए निवासी जनपद-पीलीभीत का रहने वाला है। बन्दी के सहअभियुक्त रामस्वरूप की पत्नी प्रधानी का चुनाव हार गयी थी। रामस्वरूप ने लालता प्रसाद को सपरिवार धमकी दी तुम लोगों ने वोट नहीं दिया इसका नुकसान तुम्हें भुगतना पड़ेगा। इसी रंजिश में होली मिलन के अवसर पर दिनांक 10.03.2001 को सांय लगभग 05:00 बजे 36 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर बंदूक देशी तमंचा बांका लाठी बल्लम से हमला कर दिया जिसमें 05 लोगों की मृत्यु हो गयी तथा 07 अन्य घायल हो गये। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-212/2002 में भा0द0वि0 की धारा-302/149ए 307/149ए 436/149ए 506ए 147 एवं 7 क्रिमिनल ला अमेण्डमेन्ट एक्ट के अन्तर्गत मा0 अपर सत्र न्यायाधीश/ विशेष न्यायाधीश (एस0सी0 /एस0टी0 एक्ट)ए पीलीभीत के आदेश दिनांक 23.01.2004 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गयाए जिसे मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 23.09.2005 द्वारा यथावत रखा गया। बन्दी द्वारा दिनांक 12.05.2019 तक 15 वर्ष 08 माह 24 दिन की अपरिहार सजा तथा 20 वर्ष 03 माह 18 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। जिला प्रोबेशन अधिकारी एवं जिला मजिस्ट्रेट ने बन्दी द्वारा भविष्य में अपराध करने की संभावना होने की आख्या अंकित करते हुए समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की है। प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि बन्दी के सहअभियुक्त रामस्वरूप की पत्नी प्रधानी का चुनाव हार गयी थी। इसी चुनावी रंजिश में दिनांक 10.03.2001 को 36 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर बंदूक देशी तमंचा बांका लाठी बल्लम से हमला कर 05 लोगों की हत्या कर दी एवं 07 अन्य लोगों को घायल करने का जघन्यतम अपराध कारित किया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। बन्दी का अपराध समाज को प्रभावित करने, भविष्य में अपराध करने का अवसर होने, जेल में और आगे निरूद्ध रखने का सार्थक प्रयोजन होने का अंकन जिला प्रोबेशन अधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा निदिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में की गयी है। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गंभीरता एवं जघन्यता, विवाद समाप्त न होने, जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट पीलीभीत द्वारा समयपूर्व रिहाई का विरोध किये जाने के दृष्टिगत यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोवेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी ओमप्रकाश पुत्र श्री हीरालाल को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

उक्त के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल द्वारा बन्दी की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई अस्वीकार कर दी गयी है।

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in